

# FORM No. III

APP  
Ch

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत

SDO कलेक्टर बसवा मुकाम

बसवा

मुकदमा

वाजदादी प्रकरण (शिका)

बनाम


महावीर साहू

सन

11/12/2024

हुम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुम की तामील में जारी हुए
----------------------------------	---

प्रकरण Adv. श्री विद्याम प्रजापत द्वारा 31 अगस्त का पेच किया है कि उक्त प्रकरण गुलाब बनाम महावीर (शिका) प्रकरण सं. 104/2023 में निर्धारित तारीख पेची 26-3-24 को वकील काड़ी उपस्थित नहीं होये से वॉरंट कट दिया गया है। प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जावे। इस वाजदादी प्रकरण (शिका) को नम्बर पर लेने से पूर्व प्रतिवादीगणों को मय Adv. प्रतिवादी को नोटीस जारी होकर, पञ्जावली 6-5-24 को पेच हो। नोटीस जारी Regr. Adi. जारी हो



उपखण्ड अधिकारी  
बसवा (दीसा)

6-5-24 पञ्जावलीदिय डी. प्रति. महावीर, बसवा सत्यनारायण की तामील करार रजि. डायरी के Status Report प्राप्त हुनकी डायरी से Adv. मुकेश शर्मा उपस्थित हुआ, हुमय प्रकरण की बहस सुनी गयी, पञ्जावली को बाद सुनवाई हुयेदिने जाते है कि वाजदादी सा.पत्र (T.I.) एनिकाल कालक, मूल T.I. प्रकरण, पुनर्वर्ती रिपति मय T.I. हुयेदिने व शिका प्रकरण पुनर्वर्ती रिपति में बेशक किया जाता है। प्रकरण पुनः नम्बर पर लिया जावे। प्रकरण को मूल पञ्जावली के संलग्न होकर पञ्जावली हुम को पेच हो

UT-84  
[Signature]  
6-5-24



उपखण्ड अधिकारी  
बसवा (दीसा)